का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/20015/9/97-रा॰भा॰ (नीति-II), दिनांक 30.4.1997

विषय:— हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन के संबंध में संशोधित व्यवस्था।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में राजभाषा विभाग ने दिनांक 15 मार्च, 1988 के एक कार्यालय ज्ञापन सं॰ 11/20015/45/87-रा॰भा॰ (क-2) द्वारा व्यवस्था निर्धारित की थी।

2. यद्यपि व्यवस्था में इंगित किया गया था कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्यों को चुनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए परन्तु वास्तविक अनुभव यह रहा है कि चार गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने के बारे में स्पष्ट व्याख्या और आदेशों की आवश्यकता है।

3. अत: इस विषय पर पुनर्चिन्तन के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 4 गैर-सरकारी सदस्यों में से हर प्रस्तावित सदस्य को निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(i) प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्य को संबंधित विभाग मंत्रालय द्वारा निष्पादित विषय तथा उसके कार्यक्षेत्र का अच्छा एवं पर्याप्त परिचय या ज्ञान होना चाहिए, और

(ii) उपरोक्त के साथ-साथ नामित सदस्य, राजभाषा हिंदी में लेखन या /प्रचार-प्रसार या/प्रकाशन या/ और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से निष्ठा के साथ जुड़ा होना चाहिए।

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रस्तावना भेजते समय मंत्रालयों/विभागों की ओर से प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्यों का संक्षिप्त परिचय तथा किस प्रकार के उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, के बारे में राजभाषा विभाग को जानकारी देना अनिवार्य होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से, पुनर्गठन का प्रस्ताव, उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर ही भेजें, ताकि पुनर्गठन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।